प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रनवीर पुत्र श्री शीतलाबक्स निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39852/प्रोबे0-5-दयायाचिका/878 दिनांक 06.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रनवीर पुत्र श्री शीतलाबक्स, जो- छतैनिया, थाना-पिहानी, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 23.05.1980 को 04 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए56/1980 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 26.08.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे। बन्दी द्वारा दिनांक 05.05.2016 तक 11 वर्ष 05 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 02 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रनवीर (बन्दी संख्या-18544) पुत्र श्री शीतलाबक्स निवासी जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-620/2018/2908(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in